16

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशालय विशेष योग्यजन

मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल योजना-2017

(1) प्रस्तावना :-

राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन जो कि मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम हो, को नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल उपलब्ध करवाये जाने की योजना।

(2) पात्रता एवं शर्ते एवं वांछित दस्तावेज :-

i. **आय प्रमाण पत्र** :-माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये) 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इस हेतु प्रार्थी को संलग्न प्रारूपानुसार आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हो।

ii. **निःशक्ता प्रमाण पत्र** :-चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन को चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन-निःशक्ता के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

iii. **मूल निवास प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)

iv. **आयु प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी की आयु 16 वर्ष से कम व 30 वर्ष से अधिक न हो। (इस हेतु अभ्यार्थी आवेदन के साथ 10वीं की अंक तालिका की प्रति प्रस्तुत करें)

v. **नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी द्वारा अध्ययनरत विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

vi. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र** :-अभ्यार्थी द्वारा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

vii. **शपथ पत्र** :-अभ्यार्थी द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल/बैट्री चलित वाहन प्राप्त नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

viii. **फोटो** :-अभ्यार्थी द्वारा स्वयं की 4 फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

ix. **ड्राईविंग लाईसेन्स** :-अभ्यार्थी द्वारा वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (18 वर्ष से कम आयु के अभ्यार्थी के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाईसेन्स)

x. **भामाशाह एवं आधार कार्ड की प्रति** :-अभ्यार्थी द्वारा भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

xi. **अभ्यार्थी मोटराईज्ड ट्राई साईकिल चलाने में सक्षम**:- चलन निःशक्तता वाले अभ्यार्थी के दोनों हाथ सही हो तथा मोटराईज्ड ट्राई साईकिल चलाने में सक्षम हो

(3) आवेदन की प्रक्रिया

अभ्यार्थी द्वारा योजना की पात्रता एवं शर्तो के अनुरूप निर्धारित आवेदन भरकर मय वांछित पूर्ण दस्तावेजों के संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति की पावती रसीद अभ्यार्थी को दी जायेगी।

(4) चयन प्रक्रिया

उपरोक्त पात्रता एवं शर्तो को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला कलक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाकर उनके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होगें। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय की न्यूनता एवं विशेष योग्यजन की अधिक निःशक्तता के आधार पर स्वविवेक से चयन करने का निर्णय लेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगी :-

1. जिला कलक्टर	:	अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	:	सदस्य
3. जिला परिवहन अधिकारी	:	सदस्य
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	:	सदस्य
5. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	:	सदस्य सचिव

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- SP-3 4.X.17.

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त (विशेष योग्यजन) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (आयोजना/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या .... दिनांक .... के क्रम में।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, ...
10. जिला कोषाधिकारी, ...
11. संयुक्त निदेशक (योजना), शासन सचिवालय, जयपुर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन।
13. समस्त अधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन।
14. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
15. गार्ड फाईल।

निदेशक

निःशुल्क आवेदन

अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित फोटो (4 फोटो संलग्न करें)

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल हेतु आवेदन पत्र

1.	अभ्यर्थी का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	माता का नाम	
4.	जन्म तिथि (आयु प्रमाण पत्र 10वीं की अंक तालिका संलग्न करें)	
5.	यूनिक आई.डी./रजिस्ट्रेशन क्रमांक	
	भामाशाह कार्ड क्रमांक	
6.	आधार कार्ड क्रमांक	
7.	वर्तमान निवास स्थान का पता दूरभाष न. मोबाईल न.	
8.	स्थाई पता	
9.	अन्तिम शैक्षणिक योग्यता (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
10.	निःशक्तता प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे	
11.	मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
12.	माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
13.	~~नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र~~ (संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
14.	वाहन चलाने की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (ड्राईविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)	

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>शपथ–पत्र</u>

मेरे द्वारा इस योजनान्तर्गत प्राप्त मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल को 10 वर्ष तक किसी अन्य को हस्तान्तरित/विक्रय नहीं की जायेगी तथा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल/बैट्री चलित वाहन प्राप्त नहीं किया गया है तथा आवेदन पत्र में अंकित समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सही है, अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल/बैट्री चलित वाहन प्राप्त किये जाने की स्थिति में मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी तथा योजनान्तर्गत प्राप्त की गई मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल की लागत राशि एकमुश्त मय ब्याज के विभाग को वापिस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होंगा तथा विभाग को मेंरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा।

शपथग्रहिता

साक्षी के हस्ताक्षर मय नाम व पता

....

....

आवश्यक संलग्न दस्तावेज :–

i. आय प्रमाण पत्र की प्रति।	vi. अन्तिम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
ii. निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति।	vii. शपथ पत्र।
iii. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।	viii. अभ्यर्थी की 4 फोटो।
iv. आयु प्रमाण पत्र की प्रति।	ix. ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति।
v. नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र की प्रति।	x. भामाशाह एवं आधार कार्ड की प्रति।

....

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र के समस्त कॉलम अभ्यर्थी द्वारा भरे गये है तथा समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न है।

आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

....**Cut here**...

<u>पावती रसीद</u>

अभ्यर्थी का नाम श्री...आवेदन प्राप्ति की तिथि...................................

आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

मोटराईज्ड ट्राई साईकिल योजना 2017 हेतु

आय का घोषणा पत्र

1. निवास स्थान का पूर्ण पताः ....
2. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम ....
पिता/पति का नाम श्री ....आयु.........वर्ष...........माह................
तह.........................जिला............................पिनकोड............................

3. स्वयं की/ एवं माता/पिता/पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो की समस्त स्त्रोंतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः-

(1) कृषि भूमि(.................) आदि से आय रू............	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रू............
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रू.	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू..........................	कुल वार्षिक आय रू..

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक................................ प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर/अवयस्क होने की स्थिति में अभिभावक/संरक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप भाग-II
(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियों.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी.. को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
नाम...
(पद नाम मय दिनांक)
....

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
नाम...
(पद नाम मय दिनांक)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा- संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ-पत्र)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री....................................... शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी/माता/पिता की (जो भी लागू) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रू.........................अक्षरे रू...... .... है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भातीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्त्ता का नाम) ....पिता/पति का नाम .... आयु................निवासी..ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान...के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मय मुहर